।। महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर।।

क्रमांक :– सामान्य / 16 / 2007 / 20367–468 दिनांकः– 20/8/10

समस्त अधीक्षक / उपाधीक्षक / प्रभाराधिकारी
केन्द्रीय / जिला / उप कारागृह, राजस्थान।
प्रभारी, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर / जोधपुर
प्रभारी, किशोर बंदी सुधारगृह, अजमेर।

विषयः– कारागृह में बन्द एच.आई.वी. / एडस मरीजों को नियमित जांच व उपचार हेतु समय पर ए.आर.टी. सेन्टर पर भेजने के संबंध में।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग ए.आर.टी. सेन्टर, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं सलंग्न चिकित्सालय जयपुर ने अपने पत्रांक एम.सी. / ए.आर.टी. / 10 / 637 दिनांक 13.4.10 के द्वारा सूचित किया है कि राजस्थान राज्य की विभिन्न कारागृहों में निरूद्व सजायाफ्ता एवं विचाराधीन बंदी जो कि एच.आई.वी. / एडस् सक्रंमण से गृसित है, ऐसे मरीजो को नियमित जांच व उपचार हेतु समय पर ए.आर.टी. सेन्टर नहीं भेजा जा रहा है, जिसके कारण उनके उपचार में बाधा उत्पन्न होती है।

अतः समस्त कारागृह प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी कारागृह पर निरूद्व एच.आई.वी. / एडस् में मरीज बंदियों को समय पर नियमित जांच एव उपवार हेतु ए.आर.टी.सेन्टर पर भेजे जावें।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान,जयपुर
19/8/10

प्रतिलिपिः– डॉ0 पी.डी. खण्डेलवाल, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग एवं प्रभारी ए.आर.टी. सेन्टर, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं सलंग्न चिकित्सालय जयपुर को उनके पत्रांक एम.सी. / ए.आर.टी. / 10 / 637 दिनांक 13.4.10 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान,जयपुर
19/8/10